जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 11.12.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5997 द्वारा विवाद(मारपीट) में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5997 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत बड़सरा से इवेंट सं0 **44358** द्वारा महिला कालर ने मो0नं0 9161673112 से विवाद मारपीट के कारण 01 महिला (01. सरोजा देवी पत्नी विनोद कुमार ग्राम बडसरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल महिला को ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* हे0का0 सरियतुल्ला, हो0चा0 दुर्गेश यादव।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 64 वाहनों से 73,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 11.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 64 वाहनों से 73,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* मु0अ0सं0 665/2024 धारा 3(1) यूपी गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त संजय कुमार पुत्र स्व0 रामाशंकर निवासी भरपूरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को विधिक नियमों का पालन करते हुये उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त के भय व आतंक से किसी व्यक्ति द्वारा इनके विरुद्ध इनके द्वारा किए गए गलत कार्यों की सूचना व गवाही देने से डरने के दृष्टिगत गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पर गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किए जाने के उपरान्त थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा उक्त गैंगेस्टर को आज दिनांक 11.12.2024 को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 130/2024 धारा 120B,419,420,467,468,471 भा0द0वि0 व यूपी सार्वजनिक परिक्षा अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 930/2017 धारा 323,498A,504,506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, हे0का0 प्रदीप सिंह, का0 कृष्णानारायन गोंड।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त को 04 वर्ष के कठिन कारावास व कुल 20000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 11.12.2024 को ***ए0एस0जे0/एफटीसी द्वितीय जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना धनघटा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 695/2014 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता संजय पाठक पुत्र रामाज्ञा पाठक निवासी नन्हियाजोत (मिश्रीपुरवा) थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को मु0अ0सं0 695/14 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त संजय पाठक को मु0अ0सं0 695/2014 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 04 वर्ष के कठिन कारावास एवं 20000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने कि स्थिति में अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभि0 संजय पाठक को अधिपत्र तैयार कर दण्ड भुगतने हेतु जिला करागार संतकबीरनगर प्रेषित किया जाए।